<u>न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर</u>

अपील एल0 आर0 एक्ट संख्या 288/2020/जिला भीलवाड़ा

जीतू गोदपुत्र रूपा भील निवासी पिछोरिया खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
................अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती शिवली पुत्री रूपा भील पत्नि भागु भील
2. श्रीमती नन्दु पुत्री रूपा भील पत्नि भवना

समस्त निवासी पिछोरिया खेड़ा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
................रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 05.02.2020 प्रकरण संख्या 01/2010 जिन्होने नामातंकरण संख्या 146 दिनांक 28.09.1982 को निरस्त करते हुए रेस्पोडेण्ट का नाम दर्ज किया।

....

उपस्थित अभि0:–श्री ईश्वर रेवड़ा(अपीलांट अभि0)
श्री गजेन्द्र सिंह (रेस्पो0 अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः–30.09.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिछोरिया खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के खसरा संख्या 221,222,223,226,227 कुल किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा में 1/3 हिस्से के सहखातेदार जमाबंदी संवत 2038–41 कि अनुसार रूपा पुत्र जवाना थे। रूपा के कोई संतान नहीं होने से नानू व हिरी के पुत्र जीतू को प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार कार्यक्रम आयोजित कर रस्में अदा कर गोद लिया था। तब से जीतू रूपा का पुत्र चला आ रहा था। रूपा की मृत्यु होने पर विरासत से नामातंरण संख्या 146 दिनांक 28.09.1982 खोला जाकर जीतू व उसकी माता धूली(रूपा की पत्नि) के नाम पर दर्ज किया। तब से ही जीतू व उसकी माता खातेदार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है।

रेस्पो0 नम्बर 1 व 2 ने नामातंरण संख्या 146 दिनांक 28.09.1982 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी गंगापुर भीलवाड़ा के समक्ष अपील दायर की तथा निवेदन किया कि नामातंरण संख्या 146 दर्ज करते हुए उनका नाम भी दर्ज किया था। नामातंरण संख्या 146 भरते हुए रेस्पो0 1 व 2 तथा उनकी माता धूली बेवा रूपा का नाम पटवार हल्का द्वारा भरा गया था। किन्तु ग्राम पंचायत भरक द्वारा जीतू पुत्र रूपा एवं धूली बेवा रूपा का नाम अंकित [illegible] किया। जबकि अपीलांट जीतू नानू का पुत्र था। इस नामातंरण से व्यथित होकर रेस्पो0 1 व 2 द्वारा अपील उपखण्ड अधिकारी गंगापुर मे दर्ज करवायी। [illegible] पर सुनवाई के बाद उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2002 को निर्णय पारित करते हुए अपील स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

करते हुए नामातंरण संख्या 146 दिनांक 28.09.1982 को निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार सहाड़ा को रिमाण्ड किया तथा पुनः रूपा के वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय करने हेतु निर्देश दिये। उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। जिस पर सुनवाई के बाद उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी गंगापुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2009 को यथावत रखा।

तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के निर्णय के अनुसरण में सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 05.02.2020 से मृतक रूपा की विरासत का नामातंरण रूपा की जाइंदा पुत्रीयों रेस्पों0 1 व 2 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किये। उक्त आदेश से व्यथित होकर निम्न अपील प्रस्तुत की गई है–

1. रूपा के कोई जाइंदा पुत्र नही होने से मुझ अपीलांट को गोद लिया गया था। गोद को सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार किया गया था।

2. मुझ अपीलांट द्वारा सिविल कोर्ट में एक नियमित वाद गोद पुत्र घोषित होने बाबत दर्ज करवाया है। जिस पर निर्णय होना शेष है।

3. तहसीलदार द्वारा निर्णय से पूर्व मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 20.02.2010 पर कोई विचार नहीं किया गया। अतः तहसीलदार सहाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.2020 निरस्त किया जाकर विवादित आराजियात का नामातंरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक करने बाबत आदेश किया गया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें उन्होने निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2020 की पालना व प्रभाव अपील निस्तारण होने तक स्थगित रखा जायें तथा राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जायें। चूंकि ऐसा न होने पर अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में होगा। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत की है।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णित पत्रावली तलब कर प्राप्त की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि रूपा का निधन हो चुका है। नामातंरण संख्या 146 दिनांक 28.09.1982 से भूमि जीतू और धूली के नाम दर्ज हुई थी। विवादित भूमि का रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा है। जिसमें रूपा का हिस्सा 1/3 है। की पुत्रीयों शिवली और नन्दू द्वारा प्रथम श्रेणी वारिसान बताते हुए एक आवेदन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर दिनांक 14.12.2... को उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामातंरण संख्या 146 को निरस्त कर दिया तथा तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड पर भेजा अपीलांट के अनुसार 1968 में मुझे गोद लिया था। प्रकरण के रिमाण्ड होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

के बाद दिनांक 20.02.2010 को मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा बनायी गई थी। अपीलांट द्वारा एक प्रकरण 3/2020 सिविल न्यायालय में दायर किया गया था। तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 05.02.2020 में मृतक रूपा की विरासत का नामातंरण रेस्पो0 1 व 2 के नाम करने का आदेश दिया था। मगर तहसीलदार ने अपने आदेश में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 20.02.2010 का हवाला नहीं दिया है। रीति रिवाज के अनुसार गोद कार्यक्रम किया गया। राजस्व न्यायालय को गोद बाबत निर्णय करने का अधिकार नहीं है। भील समुदाय में लड़कीयों को हक नहीं दिया जाता है। वकील रेस्पो0 ने बहस में बताया कि जीतू कभी गोद नहीं गया। गोद से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। कानून/नियम होने पर परम्परायें लागू नहीं मानी जाती है। लड़का होने पर अधिकार वहीं रहेगें।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। मौका पर्चा दिनांक 20.02.2010 के अनुसार ''उपस्थित मौत विरानों ने बताया कि श्री रूपा की मृत्यु हो चुकी है। उसकी पत्नि धूली एवं पुत्रीयां क्रमशः नन्दू, शिवली मौजूद है। रूपा की मौजूदगी में रूपा के भाई नानू के पुत्र जीतू को गोदपुत्र रखा गया था। गोदनामा रजिस्टर्ड होना नहीं बताया। अतः मौकापर्चा मुरतिब कर उपस्थितयान को पढ़ाया , सुनाया जाकर हस्ताक्षर लिये। उक्त मौकापर्चा के नीचे पटवारी, सरपंच, उपसरपंच व अन्य के हस्ताक्षर करवायें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाड़ा द्वारा निर्णित पत्रावली 1/2010 की ऑर्डरशीट का अवलोकन किया गया। दिनांक 15.02.2010 को पटवार हल्का से मृतक खातेदार के वैध वारिसान की सूची प्राप्त की जायें, यह अंकन किया हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.02.2010 को मौकापर्चा बनाया हुआ है। मगर उक्त मौकापर्चा तहसीलदार के किस आदेश में बनाया गया है यह स्पष्ट नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त मौका पर्चा किस पत्र दिनांक से न्यायालय तहसीलदार सहाड़ा ने प्रस्तुत किया है। यह स्पष्ट नहीं है। पटवारी हल्का ने गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं होना बताया है। मगर पत्रावली पर कोई अनरजिस्टर्ड गोदनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वकील रेस्पो0 के अनुसार अपीलांट जीतू को गोद लिया ही नहीं है। जबकि जीतू अपीलांट के द्वारा यह बताया गया है कि उसको सन 1968 में रूपा के द्वारा गोद लिया गया था जब अपीलांट की उम्र 10 वर्ष थी और गोद आखातीज पर लिया गया था तथा रूपा ,धूली की मृत्यु के उपरांत सामाजिक कार्यक्रम जीतू के द्वारा ही किया जाना बताया है।

इस प्रकरण में मूल विवाद का बिन्दु यह है कि क्या जीतू , रूपा के गोद गया है या नहीं। नामातंरण संख्या 146 ग्राम पिछोरिया खेड़ा खाता नम्बर 75 का अवलोकन किया गया। कॉलम नम्बर 5 में रूपा, माधु, नानू पिता जवाना साकिन्द अंकित है। कॉलम नम्बर 6 में किता 5 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा दर्ज है। कॉलम नम्बर 11 में पटवारी द्वारा धूली बेवा रूपा, नन्दू, शिवली पिता रूपा माधु, नानू पिता जवाना भी अंकित है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.09.1982 को नामातंरण खोलने बाबत प्रस्तुत किया गया। गिरदावर द्वारा दिनांक 20.09.1982 को अंकन दुरूस्त बताया गया है। मगर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा यह स्वीकृत न कर रूपा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:48 IST
Reason: Self Attested

की जगह जीतू के नाम विरासत खोली गई है। उक्त नामातंरण की पुश्त पर यह अंकित किया हुआ है– **''खातेदार रूपा फौत हो गया है। अतः विरासत श्री जीतू पुत्र रूपा व धूली बेवा रूपा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है''।**

ग्राम पंचायत द्वारा किस आधार पर रेस्पो0 1 व 2 का नाम छोड़ते हुए नामातंरण में अपीलांट का नाम दर्ज किया, यह पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड की कार्यवाही के दौरान अपीलांट द्वारा इस बाबत कोई दस्तावेज, कोई सबूत प्रस्तुत किये है। जिससे उसका रूपा के यहां गोद जाना प्रदर्शित होता हों। तहसीलदार सहाड़ा की रिमाण्ड कार्यवाही के दौरान भी अपीलांट ने पटवारी मौका पर्चा दिनांक 20.02.2010 का उल्लेख करते हुए पटवारी रिपोर्ट को सही बताया है। इस दौरान भी उसने कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किये है। जो उसके गोद जाने की जानकारी रखता है। ना ही उसके द्वारा कोई अनरजिस्टर्ड अथवा रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश किया है जिससे गोद के बारे में कोई जानकारी मिलती हों। गोदनामा रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। साथ ही गोद की सारी रस्में भी किया जाना आवश्यक है। राजस्थान एल0आर0 रूल 132 के अनुसार अनरजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर नामातंरण नहीं खोला जा सकता है और प्रस्तुत प्रकरण में ना तो गोद लिये जाने की रिवाज की क्रियाओं की पुष्टि हुई है। ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यह सही है कि अनुसूचित जनजाति समाज में पिता की मृत्यु के बाद भूमि विरासत से सिर्फ पुत्रों का प्राप्त होती है, पुत्रीयों को नहीं तथा पुत्रों में गोदपुत्र भी शामिल है। मगर प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के गोद जाने बाबत तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। ऐसे में रूपा की मृत्यु के बाद भूमि विरासत से धूली पत्नि रूपा और उसकी मृत्यु के बाद रेस्पो0 नम्बर 1 व 2 शिवली और नन्दू को ही जाएगी। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर दिनांक 05.02.2020 प्रकरण संख्या 1/2010 विरूद्ध नामातंरण संख्या 146 दिनांक 28.09.1982 में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर दिनांक 05.02.2020 प्रकरण संख्या 1/2010 विरूद्ध नामातंरण संख्या 146 दिनांक 28.09.1982 में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर